भारत के हरित भविष्य का निर्माण-हरित बॉण्ड

मंजुला वाधवा*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-ए में स्पष्टत: उल्लिखित है कि भारत सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले एक दशक के दौरान केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जैसे नमामि गंगे मिशन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, पर्यावरण ज्ञान और क्षमता निर्माण; राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम; पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास; प्रदूषण नियंत्रण; हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास आदि। हमारी अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के प्रयासों के अनुक्रम में 2022-23 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार द्वारा हरित अवसरंचना ढांचे में निवेश करने के लिए हरित बॉण्ड्स से धन जुटाने संबंधी घोषणा की गई थी (PIB, 2022)। इसी के अनुक्रम में नवम्बर 2022 में वित्त मंत्रालय ने संप्रभु (सॉवरेन) ग्रीन बॉण्ड जारी करने की प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। सरकार ने इस बात को समझा कि देश में कई ऐसे निवेशक हैं जिनके पास हरित बॉण्ड में निवेश को लेकर अलग से कोष है, इसी को देखते हुए हरित बांड लाने का निर्णय किया गया। उन्हें प्रोत्साहित करने से घरेलू बॉण्ड बाजार में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाई जाएगी जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

स्टडी का महत्व

अंतत:, भारत में टिकाऊ और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए हरित बॉण्डस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं नज़र आती हैं। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) की रिपोर्ट, ''फॉस्टरिंग इफैक्टिव एनर्जी ट्रांज़िशन 2023'' के अनुसार 2020 में ग्रीन बॉण्डस में 270 बिलियन डॉलर का हुआ निवेश इस बात का प्रमाण है इन्हें बढ़ावा देने से हमारे देश को बहुविध लाभ हो सकते हैं - हमारा पर्यावरण तो सुरक्षित रहेगा ही, तेज़ी से बढ़ रहे जलवायु परिवर्तनों से निपटने में भी मदद मिलेगी। यदि समावेशी विकास को बरकरार रखना है तो हमें अपनी वित्तीय प्रणाली की विफलताओं के मूल तक जाकर विचार करना होगा। ऐसे मानकों, विनियमों और प्रथाओं को अपनाना होगा जो इसे अधिक समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएँ। भारत के हरित भविष्य का निर्माण करना है तो ग्रीन बॉण्डस को प्रोत्साहित करने की दिशा में हर सही और संभव कदम उठाना बेहतर होगा।

कार्यप्रणाली

इस स्टडी को विख्यात लेखकों के आलेख, सरकारी ब्लॉग/वेबसाइट पढ़ कर आंकड़ों व सामग्री का समेकन कर आम जन के पढ़ने हेतु आलेख तैयार किया गया है।

अवधारणा

आइए, हरित बॉण्ड की अवधारणा को समझ लेते हैं - ग्रीन बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जहां जारीकर्ता, चाहे कोई संप्रभु इकाई हो या कॉर्पोरेट हाउस, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के लिए आय का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है। सरल शब्दों में संप्रभु इकाई द्वारा जारी किए गए बॉण्ड को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। सार्वजनिक,

* सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से सतत् विकास पहल के लिए कम कार्बन वाले, टिकाऊ और समावेशी मार्गों की ओर हरित आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, हरित वित्त जुटाने हेतु जारी किए जाने वाले वे बॉण्ड जिनकी आय का उपयोग ऐसी परियोजनाओं और पहलकदमियों, पर्यावरण उत्पादों और नीतियों के लिए किया जाता है जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण के प्रयासों में जुटी होती हैं। हरित परियोजनाएं या परियोजनाएं जो अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन या जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में देश के संधारणीय विकास के लिए जिम्मेदार हैं, में निवेश के लिए वित्तीय संसाधन हरित बॉण्ड के माध्यम से जुटाए जाते हैं। यहां तक कि इसके अंतर्गत निवेशकों को मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए पात्र परियोजनाओं का अच्छा कार्यनिष्पादन जैसी कोई शर्त नहीं है। हरित बॉण्ड में निवेश करने वालों के लिए कोई परियोजना संबंधी जोखिम भी निर्धारित नहीं हैं। इंटरनैशनल कैपिटल मार्किट एसोसियशन (International Capital Market Association) के अनुसार (ICMA, June 2021) हमारे हरित बॉण्ड यथा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करते हैं, जैसे:-

- प्राप्त राशि का उपयोग सही प्रयोजन हेतु सुनिश्चित करना,
- परियोजना चयन, अनुप्रवर्तन और उसके मूल्यांकन में सावधानी बरतना,
- प्राप्त राशि का सुव्यवस्थित प्रबंधन,
- सम्बद्ध प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्टिंग सही ढंग से करना।

अक्सर सतत् वित्त, हरित वित्त और जलवायु वित्त को एक समान समझा जाता हैं, इसलिए इनके बीच मौजूद सूक्ष्म अंतर को समझना जरूरी है।

तालिका 1: सतत् वित्त, हरित वित्त एवं जलवायु वित्त

सतत् वित्त	हरित वित्त	जलवायु वित्त
इसमें पर्यावरण, सामाजिक, अधिशासन संबंधी और आर्थिक पहलू शामिल हैं।	इसमें जलवायु वित्त शामिल है लेकिन इसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल नहीं हैं।	यह हरित वित्त का एक उप समूह है।

भारत में हरित वित्त पर ध्यान देने की शुरूआत 2007 से हुई थी। हरित वित्तपोषण के काम में लगी एजेंसियों के लिए समन्वय निकाय के रूप में, 2011 में वित्त मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) (Climate Change Finance Unit, 2023) की स्थापना की गई थी। इस संबंध में 2012 के बाद से स्थिरता प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अपनाना मुख्य रणनीतिक बदलाव था। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक हरित वित्तपोषण गतिविधियों को सहायता देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव लाने में जुटा हैं। 2015 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कार्यक्रम में लघु नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को जोड़ा गया था।

उद्देश्य

हरित वित्त का उद्देश्य पर्यावरणीय जोखिम को कम करना है। बड़े पैमाने पर, आर्थिक रूप से मजबूत हरित वित्त प्रोत्साहन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जो परियोजनाएं चलाते हैं, उन्हें पारंपरिक निवेश की बजाय हरित निवेश में वरीयता मिले। हरित वित्त संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) में उल्लिखित सभी सतत् विकास मानदंडों को शामिल करता है और पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाओं में निवेश की पारदर्शिता और दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा देता है। इस तरह के वित्त पोषण के विस्तार के परिणामस्वरूप अधिक

रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा होंगे। यह सब अंतत: मानव सुविधाओं और जीवन में सुधार के साथ-साथ प्रकृति को खतरे में डाले या नुकसान पहुंचाए बिना सतत् विकास में परिणत होगा।

हरित वित्त को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास

इस प्रकार की पहल के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए वित्तीय साधन, जैसे ग्रीन बॉन्ड, कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (जैसे कार्बन टैक्स) और नए वित्तीय संस्थान (जैसे ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड) बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (National Clean Energy Fund) और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund) जलवायु परिवर्तन के लिए हरित वित्तपोषण के मुख्य स्रोत हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ मिशन स्थापित किए गए हैं जिन्हें भारत सरकार से पैसा मिलता है। वित्त मंत्रालय में गठित जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करती है।

तालिका 2: निम्नलिखित वर्गों की परियोजनाएं हरित बॉण्ड जारी करने के लिए पात्र हैं

हरित परियोजना वर्ग	पर्यावरणीय उद्देश्य	पात्रता मानदंड
नवीकरणीय ऊर्जा	जलवायु परिवर्तन उपशमन तथा नेट ज़ीरो के लक्ष्य की पूर्ति	सौर, वायु, बायोमास, हाइड्रो पावर जैसी परियोजनाओं में निवेश। ऊर्जा उत्पादन व भंडारण के बीच समन्वय।
ऊर्जा दक्षता	जलवायु परिवर्तन उपशमन	सरकारी भवनों में ऊर्जा दक्षता तथा बचत के ढांचे बनाना।
स्वच्छ परिवहन	जलवायु परिवर्तन उपशमन	सार्वजनिक परिवहन को बढावा, उसका विद्युतीकरण व सुरक्षा।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	जलवायु परिवर्तन उपशमन	जलवायु परिवर्तन की सूचना देने वाले उपकरण।
संधारणीय जल व अपशिष्ट प्रबंधन	जलवायु परिवर्तन उपशमन	पानी के किफायती इस्तेमाल वाली सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा, अपशिष्ट जल प्रबंधन ढांचे बनाना, बाढ़ सुरक्षा प्रणालियां।
प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण	जलवायु परिवर्तन उपशमन	वायु उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाएं, जल व अप-शिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण आदि।
जीवित प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन व भूमि उपयोग	जलवायु परिवर्तन उपशमन	कृषि, पशु व मछली पालन, एक्वाकल्चर आदि का पर्यावरण अनुरूप प्रबंधन।

जहाँ तक हरित बॉण्डस जारी करने के सिद्धांतों (Framework for Sovereign Green Bonds, Department of Economic Affairs) का प्रश्न है, इनसे प्रप्त धन का प्रयोग सरकारी स्तर की परियोजनाओं में ऋण, अनुदान, सब्सिडी आदि सभी रूपों में किया जाता है। कार्बन तीव्रता को कम करने वाले शोध व विकास कार्यों में भी खर्च किया जाता है। ईक्विटी केवल मेट्रो परियोजनाओं में 'स्वच्छ परिवहन' वर्ग के तहत अनुमत है, अन्य किसी में नहीं। हरित बॉण्ड जारी होने से पहले के साल भर में किए गए सरकारी खर्च ही पात्र होंगे। कोशिश की जाएगी कि प्राप्त धन 24 महीने

के अंदर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अवंटित कर दिया जाए। अन्य किसी सरकारी योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाएं इसके अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। राशि का संवितरण पात्र परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर रहेगा और यह राशि चरणबद्ध रूप से अवंटित की जाएगी। 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जीवाश्म ईंधन से जुड़ी परियोजनाएं कदापि पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, न्युक्लीयर पावर प्रोजेक्ट, लैंडफिल प्रोजेक्ट, अपशिष्ट सीधे जलाने के काम, अल्कोहल, हथियार, तंबाकू तथा ताड़ के तेल की परियोजनाएं भी पात्र नहीं हैं। हालांकि, सार्वजनिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी (Compressed Natural Gas) परियोजनाएं इसमें शामिल हैं।

परियोजनाओं के चयन और मूल्यांकन हेतु वित्त मंत्रालय ने 'हरित वित्त समिति' गठित की है सरकार के स्तर पर वित्त विधेयक पारित हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक को उन सभी मदों का ब्यौरा देगा जिन पर ग्रीन बॉण्डस की राशि निवेश की जानी है। प्राप्त राशि ट्रेज़री पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाएगी। ग्रीन बॉण्डस के आगम के अवंटन और इस्तेमाल का ऑडिट भारत सरकार के महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

मौजूदा वैश्विक स्थिति

वैश्विक स्तर पर चल रही ग्रीन बॉण्डस की स्थिति - पूरी दुनिया का ग्रीन बॉण्ड बाज़ार पूंजीकरण 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पँहुच चुका है और इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी अमेरिका और चीन जैसे देश हैं। 2014 से 2023 तक की वैश्विक स्थिति पर गौर करें तो पाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 454 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जारी किए और इस मामले में पहले स्थान पर रहा। चीन, जर्मनी और फ्रांस दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे (statista, 2024)। भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर के ग्रीन बॉण्डस जारी करने की ज़रूरत है जबकि हम पूरी दुनिया के ग्रीन बॉण्डस का केवल 2.2 प्रतिशत हिस्सा ही जारी कर पा रहे हैं।

74वें गणतंत्र से मात्र एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने पहला हरित बॉण्ड जारी करके 80 बिलियन डॉलर (World Bank blog, 9 February, 2023) की राशि उगाही। इससे विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा क्योंकि यह कदम वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक विकास के प्रति भारत सरकार की कटिबद्धता का प्रमाण था। नवीनतम कदम है, केन्द्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, कृषि सुधार और शहरी विकास पर जोर देकर यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। बजट 2025 में क्लीन-टेक निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भारत को हरित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वित्त वर्ष 2022-23 से, भारत ने आठ बार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, (Policy circle, 17 February, 2025) और लगभग 53,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय का लगभग 50% रेल मंत्रालय के माध्यम से ऊर्जा कुशल तीन-चरण इलेक्ट्रिक इंजनों के उत्पादन को निधि देने के लिए उपयोग करती है। वर्ष 2024-25 के लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के तहत पात्र योजनाओं के लिए आवंटन के संशोधित अनुमानों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण के लिए 12,600 करोड़ रुपये, मेट्रो परियोजनाओं के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,607 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के तहत वनरोपण के लिए 124 करोड़ रुपये शामिल हैं।

चुनौतियाँ

ग्रीन बॉण्ड की अवधारणा को कार्य रूप देने के रास्ते में भी अनेक चुनौतियाँ हैं। हमारे देश में निवेशक, जारीकर्ता और विनियामक, अभी तक हरित बॉण्ड की अवधारणा, इसके सिद्धांतों और लाभों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। निवेशकों की ओर से मांग तथा अनुपालना संबंधी मुद्दों से निपटना भी अभी बाकी है। सतत् विकास के उद्देश्यों और राष्ट्रीय निवेश रणनीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के बीच का संबंध कमजोर है, हरित वित्त के लिए प्रत्यक्ष नियामक और कानूनी ढांचे का अभाव और हरित परियोजनाओं का प्रबंधन भी अभी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। हमारे हितधारकों को प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन के कार्यक्रमों की जरूरत हैं।

अगला अहम मुद्दा है- अंतरराष्ट्रीय नीतियों के अनुसार हमारे

देश में स्पष्ट मानकों और विनियमों का अभाव, इन्हीं से निवेशकों का विश्वास हमारे देश के ग्रीन बॉण्डस में आएगा और वे अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने हालांकि इनके लिए दिशानिर्देश बनाए हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के साथ इनका तालमेल बिठाना जरूरी है ताकि निवेशकों का विश्वास हमारे ग्रीन बॉण्ड्स में बढ़ सके। हमारे देश में हरित बॉण्डस के लिए पात्र परियोजनाओं की कमी है। जिन क्षेत्रों में हैं भी, उनमें बैंक-साध्यता, वित्तपोषण तथा सुचारू कार्यान्वयन जैसी चुनौतियां हैं। इसके लिए ऐसी परियोजनाएं चलाने के लिए प्रेरित करने की और उनकी वित्त और तकनीक संबंधी समस्याएं हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक कठिनाई यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार न होने के कारण ऐसे बॉण्डस का इश्यू प्राइस अधिक नहीं रख पाते। ऐसे में कुछ नवोन्मेषी तरीके शुरू करने की आवश्यकता है जैसे ग्रीन बॉण्डस की बीमा या गारंटी, रियायती वित्तपोषण, जारीकर्ताओं के लिए टैक्स या सब्सिडी का लाभ या फिर कार्बन क्रेडिट देने का प्रावधान। इस प्रकार के तरीके इन बॉण्डस को किफायती बनाकर जारीकर्ताओं को प्रेरित-प्रोत्साहित कर सकते है। जरूरत पड़ने पर ग्रीन बॉण्डस को बाजार में बेचना अन्य बॉण्डस की तरह आसान नहीं है। जरूरी यह है कि इनकी तरलता बढ़ाई जाए, इनमें अधिक पारदर्शिता और तृतीय पक्ष सत्यापन जैसे उत्प्रेरक जोड़कर निवेशकों को आकर्षित किया जाए। 5 से 10 साल की अवधि वाले हरित बॉण्डस का कूपन रेट भी उतनी ही परिपक्वता अवधि वाले अन्य कॉर्पोरेट बॉण्डस से अधिक है। ग्रीन प्रोजेक्टस की रेटिंग के दिशानिर्देशों का भी अभाव है। ग्रीन-वॉशिंग यानी किसी कंपनी या वित्तीय उत्पाद के पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन होने के झूठे तथा धोखाधड़ी वाले लम्बे चौड़े दावे आज ग्रीन बॉण्ड बाज़ार की राह में बड़ी चुनौती बन गए हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड' इश्यू को निवेशकों की कम मांग के कारण गति प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा है, जिससे सरकार के लिए 'ग्रीनियम' हासिल करना मुश्किल हो गया है। विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाने के बावजूद, नीलामी में सीमित भागीदारी देखी गई है, जिसमें बॉन्ड अक्सर प्राथमिक डीलरों को हस्तांतरित हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर ग्रीनियम 7-8 आधार अंकों तक पहुँच गया है, भारत में यह अक्सर केवल 2-3 आधार अंकों पर होता है। यह 'सॉवरेन ग्रीन बांड' के व्यवहार्य फंडिंग स्रोत के रूप में विस्तार को सीमित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे जुड़ी एक प्रमुख चुनौती तरलता है। इन बांडों के इश्यू आकार कम होना और निवेशकों के लिए परिपक्वता तक बॉन्ड रखने की बाध्यता ने द्वितीयक बाजार में इनके व्यापार को रोक दिया है, जिससे उनकी अपील कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में सामाजिक प्रभाव निधि और जिम्मेदार निवेश जनादेश के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है, जो अन्य बाजारों में ग्रीन बॉन्ड की मांग को बढ़ाता है। शुरुआत में, 2024-25 के लिए 'सॉवरेन ग्रीन बांड' आय से अनुमानित वित्त पोषण की आवश्यकता 32,061 करोड़ रुपये थी। हालांकि, 'सॉवरेन ग्रीन बांड' को बेचने के असफल प्रयासों के बाद, संशोधित अनुमान को घटाकर 25,298 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, ग्रिड-स्केल सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नवीनतम आंकडे बताते हैं कि भारत का ग्रीन बॉन्ड बाजार 2025 में ₹50,000 करोड़ तक उछल चुका है, जो खासकर सौर और पवन परियोजनाओं को फंड कर रहा है। यह आंकड़ा भारत की 'ग्रीन यात्रा' में सकारात्मक कदम प्रतीत होता है लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं के मद्देनज़र।

नवीनतम स्थिति का विश्लेषण

• भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य (Press Information Bureau, 05 April, 2023) निर्धारित किया है, जो अत्यधिक पूंजी की मांग करता है। इसे हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स एक साधन साबित हो रहे हैं। 2024 में, भारत ने 50 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी और इस प्रक्रिया में ग्रीन बॉन्ड्स ने ₹20,000 करोड़ का योगदान दिया। वैश्विक निवेशक भारत को अब एक सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। निवेशक भारत की निम्न मुद्रास्फीति दर की तारीफ करते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को दरों में कटौती की गुंजाइश देता है, जो स्टार्टअप्स और हरित परियोजनाओं के लिए सस्ता कर्ज ला सकता है।

• ग्रीन बॉन्ड्स के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे जुडा हुआ एक खतरा भी है। कुछ ग्रीन

बॉन्ड्स, जो 'हरित' परियोजनाओं के रूप में प्रचारित होते हैं, वास्तव में कोयला-आधारित परियोजनाओं को फंड कर रहे हैं। यानी स्पष्ट तौर पर ग्रीनवॉशिंग हो रही है, जिसमें कंपनियां अपने पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाने के बजाय, अपने पर्यावरणीय प्रभावो के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करती है। बिना सख्त ऑडिट और निगरानी के यह खतरा बढ़ सकता है।

• भारत में ग्रीन बॉन्ड्स के लिए वर्तमान नियामक ढाँचा पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, बुनियादी ढाँचे की कमी भी एक समस्या है - ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्शन की कमी के कारण सौर परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इससे निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और ग्रीन बॉन्ड्स की प्रभावशीलता भी सवालों के घेरे में आ सकती है।

• ग्रीन बॉन्ड्स के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पारदर्शिता और सख्त निगरानी ज़रूरी है। प्रत्येक ग्रीन बॉन्ड के पर्यावरणीय प्रभाव - जैसे कार्बन उत्सर्जन में कमी-को पब्लिक डेटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए। यूरोप की तर्ज़ पर तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट को अनिवार्य बनाना प्रभावी उपाय हो सकता है। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रीन बॉन्ड्स का फंड केवल शुद्ध हरित परियोजनाओं जैसे सौर और पवन ऊर्जा में ही निवेश किया जाए न कि हाइब्रिड परियोजनाओं में। टियर-II शहरों में मिनी-ग्रिड्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जैसा कि तमिलनाडु ने 2024 में किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही उत्तम प्रथाएं

ग्रीन बॉण्डस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही उत्तम प्रथाओं पर विचार कर उन्हें अपनाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। यूरोपीय संघ ने सतत् वित्त प्रकटीकरण विनियमन के तहत एक व्यापक हरित वर्गीकरण और अनिवार्य प्रकटीकरण विकसित किया है, जिससे निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित होता है और ग्रीनवाशिंग पर अंकुश लगता है। इसी प्रकार, चीन की दोहरी स्तरीय प्रणाली घरेलू और विदेशी दोनों तरह के ग्रीन बॉन्ड ढांचे की पेशकश करती है। जर्मन सरकार जो ग्रीन बॉन्ड जारी करती है उसे पारंपरिक सरकारी सुरक्षा से जोड़ती है। दोनों बॉण्डस में एक ही परिपक्वता अवधि, परिपक्वता तिथि, कूपन-दर और ब्याज-दर होती है। जर्मन ग्रीन बॉन्ड के निवेशक किसी भी समय पारंपरिक जर्मन सरकारी बॉन्ड के साथ अपनी होल्डिंग्स को स्वैप कर सकते हैं। इसी तरह ट्विन - बॉन्ड भारत में भी ग्रीन बॉण्ड जारी करने पर विचार किया जा सकता है। भारत भी जापान की भांति ग्रीन क्रेडिट सिस्टम विकसित करने पर विचार कर सकता है, इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और ग्रीन बॉण्ड बाज़ार तरक्की कर पाएगा।

ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को हरित दिशा में यकीनन मोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है। भारत का हरित भविष्य निश्चित रूप से संभव है - यह उस दिशा और प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा, जो हम अभी से दिखा रहे हैं।

BANK QUEST THEMES

The themes for "Bank Quest" are identified as:

1. **July - September, 2025: Strategic HRM Initiatives for Banks**

   Sub-themes: Talent Management, Succession Planning, Employee Engagement Strategy, Diversity and Inclusion Management, HR Audit

2. **October - December, 2025: Emerging Technologies in Banking**

   Sub-themes: Applications of Generative Artificial Intelligence (AI), Ethical AI, Fraud Detection and Creating Early Warning Signals, Technologies for Project Appraisal and Credit Appraisal

3. **January - March, 2026: New Avenues of Payments Systems**

   Sub-themes: UPI, ULI, CBDC- Challenges, Opportunities and Prospects, Cyber Security

4. **April - June, 2026: Financial Inclusion – The Next Phase**